डिस्कलेमर

अंतरिम आदेश संख्या 04/2025-26 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा /20010/सीजीएफ/जनरल कॉरेस्पॉडेंस/2023-24

भारतीय विमानपत्तनआर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

आदेश संख्या 04/2025-26

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110003,

जारी करने की तारीख: 17.06.2025

सेवा	**: ग्राउन्ड हैंडिलिंग सेवाएं (जीएचएस)**
सेवा प्रदाता	**: इंडो-थाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड**
हवाईअड्डा	**: सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद**
हवाईअड्डा प्रचालक	**: अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एआईएएल)**

विषय: मैसर्स इंडो-थाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में 15.05.2025 से 13.08.2025 तक के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण ।

<u>सेवा प्रदाता की प्रस्तुति</u>:

1 इंडो-थाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (इंडो-थाई), स्वतंत्र सेवा प्रदाता (आईएसपी) अमृतसर, भुवनेश्वर, कालीकट, गुवाहाटी, जयपुर, कोलकाता पुणे, वाराणसी इत्यादि प्रमुख हवाईअड्डों सहित भारत के विभिन्न हवाईअडडों की ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी है और यह ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं (जीएचएस) प्रदान कर रही हैं।

2 आईएसपी ने दिनांक 19.05.2025 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने दिनांक 15.05.2025 के अपने आदेश द्वारा मैसर्स सेलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (अहमदाबाद हवाईअड्डे पर उस समय मौजूद ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी) की सुरक्षा अनुमति रद्द कर दी थी। इसके बाद, इस आईएसपी को हवाईअड्डा प्रचालक से सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद में 15.05.2025 से 13.08.2025 तक, 90 दिन के लिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अंतरिम कार्य सौंपने संबंधी आशय पत्र (एलओआईए) प्राप्त हुआ है।

3 मैसर्स इंडो-थाई ने यह भी बताया कि सुचारू हवाईअड्डा प्रचालनों के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के महत्व को देखते हुए, उन्होंने एलओआईए की तारीख (15.05.2025) से ग्राउंड हैंडलिंग प्रचालन शुरू कर दिए हैं।

4 आईएसपी ने प्राधिकरण से वही टैरिफ अनुमोदित करने का अनुरोध किया है जो अहमदाबाद हवाईअड्डे पर पूर्ववर्ती ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी अर्थात मैसर्स सेलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए लागू थी। इस संबंध में आईएसपी ने निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की हैं:

(i) हवाईअड्डा प्रचालक (मैसर्स अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड) द्वारा जारी दिनांक 15.05.2025 का अंतरिम कार्य सौंपने संबंधी आशय पत्र (एलओआईए)

(ii) इंडो-थाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निगमन का प्रमाण पत्र।

(iii) बीसीएएस द्वारा इंडो-थाई को हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए प्रदान की गई सुरक्षा अनुमति ।

प्राधिकरण की जांच :

5 प्राधिकरण ने स्वतंत्र सेवा प्रदाता (आईएसपी) द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/साक्ष्यों से नोट किया है कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के दिनांक 15.05.2025 के इसके आदेश के तहत मैसर्स सेलेबी एविएशन ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड [अहमदाबाद हवाईअड्डे पर स्थित पूर्ववर्ती ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी (जीएचए)] को दी गई सुरक्षा अनुमति राष्ट्रीय सुरक्षा आधारों पर रद्द कर दी गई है।

6 पूर्ववर्ती ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी (मैसर्स सेलेबी एविएशन ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) की सुरक्षा अनुमति रद्द होने के बाद, हवाईअड्डा प्रचालक (मैसर्स एआईएएल) ने पूर्ववर्ती ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के साथ अपना करार समाप्त कर दिया था। बीसीएएस द्वारा मैसर्स सेलेबी एविएशन ग्राउंड हैंडलिंग की सुरक्षा अनुमति रद्द करने के कारण उत्पन्न विशेष स्थिति से निपटने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अहमदाबाद हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं बाधित न हों और हवाईअड्डों का प्रचालन सुचारू रूप से जारी रहे, हवाईअड्डा प्रचालक ने पूर्ववर्ती ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के स्थान पर मैसर्स इंडो थाई नामक नई ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी को नियुक्त करके एक वैकल्पिक अंतरिम व्यवस्था (15.05.2025 से 90 दिन के लिए) की है।

7 प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि बीसीएएस ने दिनांक 17.11.2020 के अपने पत्र के माध्यम से हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के रूप में मैसर्स इंडो थाई को पहले ही सुरक्षा अनुमति दे दी है। आईएसपी को दी गई सुरक्षा अनुमति बीसीएएस द्वारा जारी पत्र की तारीख से पांच वर्ष की अवधि या हवाईअड्डा प्रचालक के साथ संविदा की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए वैध है।

8 प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि निर्बाध हवाईअड्डा प्रचालनों के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा अंतरिम लाइसेंस प्रदान किए जाने की तारीख अर्थात 15.05.2025 से, बीसीएएस द्वारा मैसर्स सेलेबी एविएशन ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा अनुमति वापस लेने के बाद, नई ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी (मैसर्स इंडो थाई) ने अहमदाबाद हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है।

9 आईएसपी ने दिनांक 28.05.2025 की अपनी ईमेल के माध्यम से यह पुष्टि की है कि इस अस्थायी व्यवस्था के दौरान, वे अहमदाबाद हवाईअड्डे पर अपनी ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में वही टैरिफ लगाएंगे, जो मैसर्स सेलेबी एविएशन ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए ऐरा द्वारा अनुमोदित की गई थी।

10 प्राधिकरण, अहमदाबाद हवाईअड्डे पर तत्कालीन ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी की सुरक्षा अनुमति रद्द करने के बाद उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और हवाईअड्डे के निर्बाध प्रचालनों के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं की अनिवार्यता को संज्ञान में लेते हुए, उसी टैरिफ (वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागू) को मानने का निर्णय लेता है। जो ऐरा ने मैसर्स सेलेबी एविएशन ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए दिनांक 26.05.2023 के टैरिफ आदेश संख्या 07/2023-24 के अंतर्गत हितधारकों के परामर्श सहित उचित प्रक्रिया अपनाने के बाद, तदर्थ टैरिफ के रूप में, अनुलग्नक- **I, II और III** के अनुसार मैसर्स इंडो-थाई के लिए इसकी ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए अनुमोदित की थी। यह शेड्यूल्ड विमान प्रचालकों (अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय), अंतरराष्ट्रीय 'गैर शेड्यूल्ड और सामान्य विमानन उड़ानों तथा क्रमशः अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संबंध में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए मद-वार प्रभार के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ऐरा के 26.05.2023 के पूर्वोक्त टैरिफ आदेश का सार है।

11 प्राधिकरण ने ऊपर उल्लिखित विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स इंडो-थाई को अहमदाबाद हवाईअड्डे पर इसकी ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए 15.05.2025 (ग्राउंड हैंडलिंग प्रचालन की तारीख से) से 13.08.2025 तक तदर्थ टैरिफ की अनुमति देने का निर्णय लिया, जोकि मैसर्स इंडो-थाई को ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के रूप में बीसीएएस द्वारा दी गई सुरक्षा अनुमति की वैधता की शर्त पर है।

आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) मैसर्स इंडो-थाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (इंडो-थाई) को सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद में **संलग्नक (I, II और III)** के अनुसार ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में 13.08.2025 तक तदर्थ आधार पर प्रभार वसूल और संग्रहित करने की अनुमति दी जाती है, जोकि ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के रूप में बीसीएएस की सुरक्षा अनुमति की वैधता की शर्त पर है।

(ii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि अंतरदेशीय नॉन शेड्ल्यूड और सामान्य विमानन प्रचालनों के लिए टैरिफ, मद-वार प्रभार सहित, समान श्रेणी के विमान (नों) की संगत अंतरदेशीय शेड्ल्यूड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।

(iii) नीचे बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(iv) विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले माह की अंतिम तारीख को विद्यमान मुद्रा परिवर्तन दर पहले पखवाड़े के लिए लागू होगी और माह की पंद्रह (15) तारीख को विद्यमान दर दूसरे पखवाड़े के लिए लागू होगी।

(v) मैसर्स इंडो-थाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.11.2021 के इसके पत्र संख्या एवी-24011/10/2021–एएआई-मोका द्वारा जारी निदेशों के अनुसार सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, (एसवीपीआईए) अहमदाबाद में ग्राउंड हैंडलिंग उपस्कर के मानकीकरण का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

(vi) हवाईअड्डा प्रचालक को अहमदाबाद हवाईअड्डे पर मैसर्स इंडो-थाई द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं से संबंधित न्यूनतम सेवा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना है, जो कि पूर्ववर्ती जीएचए के लिए लागू न्यूनतम सेवा मानकों के अनुसार है।

(vii) हवाई अड्डा प्रचालक तदर्थ टैरिफ आदेश/टैरिफ दर कार्ड सभी हितधारकों की जानकारी के लिए अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

(viii) इसमें ऊपर निर्धारित टैरिफ में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(ix) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चत करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

श्री विकास लाडिया,
निदेशक,
मैसर्स इंडो-थाई कोलकाता प्राइवेट लिमिटेड,
5 जेबीएस हेल्डन ऐवन्यू,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल -700105,

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ:</u>

1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110003
2) मुख्य हवाईअड्डा अधिकारी, अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, अहमदाबाद -382421, गुजरात